"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2001."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 18 शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री वी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन तथा विमानन विभाग एवं परिवहन आयुक्त पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री पंकज द्विवेदी, भा.प्र.से. (ऐपी : 1975) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से. (1977) विकास आयुक्त सह प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण तथा लोक निर्माण विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. डॉ. एच. एल. प्रजापति, भा.प्र.से. (1984) सचिव, कृषि विभाग एवं आयुक्त सह संचालक, कृषि तथा गन्ना आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पशुपालन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्री आर. पी. मंडल, भा.प्र.से. (1987) कलेक्टर, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विकास आयुक्त सह सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

4. श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्या. एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

5. श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्या. एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, तथा संचालक, पशुपालन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

6. डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव की सेवायें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के पद पर नियुक्ति हेतु नगरीय विकास विभाग को सौंपी जाती है.

7. श्री अशोक अग्रवाल, रा.प्र.से. आयुक्त, नगर निगम, रायपुर एवं अपर कलेक्टर, रायपुर की सेवायें नगरीय विकास विभाग से वापस लेते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव के पद पर पदस्थापना हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए. के. विजयवर्गीय (वर्तमान मुख्य सचिव) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 (4) के तहत निम्नांकित संस्था/शाखा/संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है :—

1. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल.

2. पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे अधीन मैदानी कार्यालय.

3. पुलिस अधीक्षकों के अधीन जिला विशेष शाखा.

4. नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष आसूचना शाखा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर 18 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/41/2004/1/2.—श्री मनोहर पाण्डे, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़, लोक सेवा अयोग, रायपुर को दिनांक 21-11-2005 से 26-11-2005 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19, 20 एवं 27 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाण्डे, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाण्डे, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाण्डे, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/03/2005/1/2.—सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. सहायक कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 28-10-2005 से 5-11-2005 तक (९ दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 6-11-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/08/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-9-2005 के द्वारा सुश्री अमृता सोनी, भा.प्र.से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर को दिनांक 13-9-2005 से 24-9-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में सुश्री सोनी को दिनांक 25-9-2005 से 1-10-2005 तक (7 दिवस) और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 2-10-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/20/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-10-2005 के द्वारा श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 11-10-2005 से 20-10-2005 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री सिन्हा, भा.प्र.से. को दिनांक 21-10-2005 से 27-10-2005 तक (7 दिवस) और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 28-10-2005 से 11-11-2005 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 एवं 13-11-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. अनंत, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. अनंत, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनंत, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/48/2004/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से., कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 26-11-2005 से 9-12-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर, 2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री द्विवेदी के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, कोरबा का चालू कार्य श्री सुधाकर खलखो, अपर कलेक्टर, कोरबा सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक ई-7/50/2004/1/2.—श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से, अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 27-9-2005 से 31-12-2005 तक (96 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1 जनवरी, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बारिक, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती बारिक, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बारिक, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ-20-95/04/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 की कण्डिका 4.10 के अनुसरण में नीति के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार "उच्चाधिकार प्राप्त अन्तर्विभागीय समिति" का गठन करता है :—

1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, श्रम - सदस्य
3. प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग - सदस्य
4. प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण - सदस्य
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा - सदस्य
6. प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग - सदस्य
7. सचिव, वाणिज्यिक कर - सदस्य
8. सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य

9. सचिव, लोक निर्माण विभाग - सदस्य
10. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग - सदस्य सचिव
11. उद्योग जगत के निम्नलिखित प्रतिनिधि - विशेष आमंत्रित

1. अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज छ.ग. (C I I)
2. अध्यक्ष, छ. ग. स्टेट कांउँसिल-फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (FICCI)
3. अध्यक्ष, छ. ग. उद्योग महासंघ
4. अध्यक्ष, छ. ग. लघु एवं सहायक उद्योग संघ
5. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती छ. ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 8-9/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पूर्व), कोरबा के बायलर क्रमांक एम.पी./4297 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13-10-2005 से दिनांक 31-1-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षा-नुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राम्हणे, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

विषय :— कारखाना अधिनियम के अंतर्गत गंगरेल जल विद्युत गृह के लिए "अधिभोगी" की नियुक्ति वाबत् .

क्रमांक 315/13/ऊ.वि./अधिभोगी अधि./2005.—कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 .(एन) के परन्तुक खण्ड (III) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, छ. रा. विद्युत मण्डल में कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) छ.रा.वि.मं., गंगरेल जल विद्युत परियोजना, गंगरेल, जिला धमतरी को गंगरेल बांध स्थित उक्त विद्युत गृह के लिये एतद्द्वारा "अधिभोगी अधिकारी" घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-13/दो/आठ-परि./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, को उनके शासकीय वाहन के अग्रभाग में लालबत्ती लगाने हेतु विनिर्दिष्ट करता है.

वाहन में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त स्वयं सफर न कर रहे हो तो लालबत्ती ढँकना अनिवार्य है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

क्रमांक 1063/1984/16/05.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 762/1376/2005/16 दिनांक 30 अगस्त 2005 को निरस्त करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. कपूर को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रमायुक्त नियुक्त करता है.

No. 1063/1984/16/05.—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of C.G. Labour Department Notification No. 762/1376/2005/16 dated 30 August 2005 the State Government hereby appoints Shri V. K. Kapoor to be the "Commissioner of Labour" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 7-53/सात-3/05.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा-67 की उप धारा (I) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा, जिले के मसाहती ग्रामों, निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य प्रारंभ करने की घोषणा करता है :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	जिला (2)	तहसील (3)	राजस्व सर्वेक्षण प्रारंभ का क्षेत्र (ग्राम) (4)	पटवारी हल्का नंबर (5)
1.	कोरबा	कोरबा	(1) औरा कछार	01
			(2) पोडी कोहा	01
			(3) तरई सिगार	01
			(4) माखूर पानी	01
			(5) देव पहरी	02
			(6) विश्रामपुर	01
			(7) नकिया	02
			(8) अरसेना	02
			(9) कदम झेरिया	02
			(10) पाटी बहार	02
			(11) डोकर मना	02
			(12) पेन्डराडीह	02
			(13) कुटुरूबा	02
			(14) कुदरी चिगर	02
			(15) केरी झेरिया	02
			(16) जाता डाड़	02
			(17) अरेतरा	02
			(18) सुर्वे	02
			(19) बड़गांव	02
			(20) कन्सरा	02
			(21) परसाखोला	03
			(22) सराईपाली	03
			(23) झुलाझेरिया	03
			(24) गहनिया	03
			(25) गोहनपुर	03
			(26) टापरा	03
			(27) वेला	03
			(28) रामपुर	04
			(29) रापाखर्रा	05

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	कोरबा	कोरबा	(30)	दादर खुर्द	05
			(31)	खरमोड़ा	05
			(32)	भेलवाडीह	05
			(33)	कुदरी	05
			(34)	बरबसपुर	06
			(35)	आंछीमार	09
			(36)	करूमौहा	10
			(37)	टेवानारा	10
			(38)	छुईढोढ़ा	10
			(39)	पतरापाली	10
			(40)	मुडुनारा	10
			(41)	भेगुर डीह	10
			(42)	झगराहा	10
			(43)	मौहार	10
			(44)	मातमार	10
			(45)	डुमरडीह	10
			(46)	गोड़मा	10
			(47)	केरवा	10
			(48)	ठेगरीमार	11
			(49)	सरसादेवा	11
			(50)	मालीकछार	11
			(51)	समरकना	12
			(52)	गिरारी	12
			(53)	दरगा	13
			(54)	धौराभाटा	13
			(55)	तराईमार	14
	कोरबा	कटघोरा	(56)	खम्हरिया	01
			(57)	कुम्हारीदर्री	02
			(58)	मिसिया	03
			(59)	भुजंगकछार	05
			(60)	लालपुर	05
			(61)	गड़रा	05
			(62)	जजगी	05
			(63)	मड़ई	06
			(64)	बंजारी	06
			(65)	दमऊकुण्डा	06
			(66)	सलिहाभाठा	06
			(67)	मनोहरा	06
			(68)	हड़मोर	06
			(69)	कांपानवापारा	06
			(70)	लभना	06
			(71)	मानिकपुर	06

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	कोरबा	कटघोरा	(72)	परला	06
			(73)	बीजाडाड़	07
			(74)	सुखरीताल	07
			(75)	पनगवां	07
			(76)	घोघरा	07
			(77)	रानीअटारी	07
			(78)	सेन्दूरगार	07
			(79)	कुकरीबहरा	07
			(80)	अड़सरा	07
			(81)	पूटी पखना	07
			(82)	रानीमार	08
			(83)	बेलहिया	08
			(84)	अमहवा	08
			(85)	पत्थर फोड़	08
			(86)	सेन्हा	08
			(87)	गुरूद्वारी	08
			(88)	मेरई	08
			(89)	मुड़मिसीन	08
			(90)	तिलईढाड़	08
			(91)	सारिसमार	08
			(92)	अमली कुण्डा	09
			(93)	धुमानीड़ाड	09
			(94)	तलमलीडांड	09
			(95)	नवापारा	09
			(96)	बर्रा	09
			(97)	सासीन	09
			(98)	कारीमाटी	09
			(99)	धनरास	09
			(100)	बेतलो	09
			(101)	रावां	10
			(102)	बनवार	10
			(103)	झूलाझेरिया	11
			(104)	नवापारा	12
			(105)	लालपुर	12
			(106)	भुलसीडीह	12
			(107)	गिधमुडी	13
			(108)	पतुरियाडाड़	13
			(109)	खोट खिर्री	13
			(110)	हिर्री आमा	13
			(111)	नवापारा	13
			(112)	दूठीपीपर	13
			(113)	धजाक	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	कोरबा	कटघोरा	(114) साखो	13
			(115) कांटा कछार	13
			(116) सुतर्रा	13
			(117) झाल कछार	22
			(118) घुचापुर	23
			(119) धरमपुर	35
			(120) चन्द्रपुर	36
		करतला	(121) कांशीपानी	12
			(122) बोड़ाझाप	15
			(123) श्रीमार	15
			(124) सुईआरा	19
		पाली	(125) केरामुड़ा	04
			(126) वाई सेमर	04
			(127) पहाड़गांव	04
			(128) सूरका	04
			(129) हाथीबाड़ी	04
			(130) तेलसरा	05
			(131) गणेशपुर	10
			(132) चटुवाभौना	11
			(133) छिन्दपानी	14
			(134) मसूरिहा	15

Raipur, the 26th November 2005

No. F 7-53/Seven-3/05.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 67 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Govt. is pleased to declare the revenue survey operations, Distt. Korba Masahati Village, in the areas specified in the schedule given below as started :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Distt.. (2)	Name of Tahasil (3)	Name of Village area (4)	Patwari Halka No. (5)
1.	KORBA	KORBA	1. OURAKACHHAR	01
			2. PODIKOHA	01
			3. TARAISINGAR	01
			4. MAKHURPANI	01
			5. VISHRAMPUR	01
			6. DEV-PAHARI	02
			7. NAKIYA	02
			8. AARSENA	02
			9. KADAM-JHERIYA	02
			10. PATI-BAHAR	02
			11. DOKAR-MANA	02
			12. PENDRA-DEEH	02
			13. KUTU-RUBA	02

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	KORBA	KORBA	14.	KUDARI-CHIGAR	02
			15.	KERI-JHERIA	02
			16.	JATADAND	02
			17.	ARETARA	02
			18.	SURVE	02
			19.	BADGAON	02
			20.	KANSARA	02
			21.	PARSAKHOLA	03
			22.	SARAIPALI	03
			23.	JHULAJERIYA	03
			24.	GAHARIYA	03
			25.	MOHANPUR	03
			26.	TAPARA	03
			27.	BELA	03
			28.	RAMPUR	04
			29.	RAPAKHARRA	05
			30.	DADARKHURD	05
			31.	KHARMORA	05
			32.	DHELAVADIH	05
			33.	KUDARI	05
			34.	BARBASPUR	06
			35.	ANCHHIMAR	09
			36.	KARUMOUHA	10
			37.	TEVANARA	10
			38.	CHHUIDHONDHA	10
			39.	PATARAPALI	10
			40.	MUDUNARA	10
			41.	BHENGURDIH	10
			42.	JHAGURDIH	10
			43.	MOUHAR	10
			44.	MATAMAR	10
			45.	DUMARDIH	10
			46.	GORMA	10
			47.	KERVA	10
			48.	THENGRIMAR	11
			49.	SARSADEVA	11
			50.	MALIKACHHAR	11
			51.	SAMARKANA	12
			52.	GIRARI	12
			53.	DARGA	13
			54.	DHOURABHATA	13
			55.	TARAIMAR	14
	KORBA	KATGHORA	56.	KHAMHARIA	01
			57.	KUMHARIDARRI	02
			58.	MISIYA	03
			59.	BHUJANGKACHHAR	05
			60.	LALPUR	05
			61.	GADARA	05
			62.	JALAGI	05
			63.	MANDAI	06
			64.	BANJARI	06

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	KORBA	KATGHORA	65.	DAMAUKUNDA	06
			66.	SALIHABHATHHA	06
			67.	MANOHARA	06
			68.	HARMOR	06
			69.	KAPANAVAPARA	06
			70.	LABHANA	06
			71.	MANIKPUR	06
			72.	PARLA	06
			73.	BIJADAND	07
			74.	SUKHARITAL	07
			75.	PANGAVA	07
			76.	GHOGHARA	07
			77.	RANIATTARI	07
			78.	SENDURGAR	07
			79.	KUKARIBAHARA	07
			80.	ADSARA	07
			81.	PUTIPAKHANA	07
			82.	RANIMAR	08
			83.	BELAHIYA	08
			84.	AMAHAVA	08
			85.	PATTHARPHOD	08
			86.	SENHA	08
			87.	GURUDVARI	08
			88.	MERAI	08
			89.	MUDAMISANI	08
			90.	TILAIDHAND	08
			91.	SARISMAR	08
			92.	AMLIKUNDA	09
			93.	DHUMANIDHAND	09
			94.	TAMALIDHAND	09
			95.	NAWAPARA	09
			96.	BARRA	09
			97.	SASIN	09
			98.	KARIMATI	09
			99.	DHANRAS	09
			100.	BETALO	09
			101.	RANWA	10
			102.	BANWAR	10
			103.	JHULAJHERIYA	11
			104.	NAWAPARA	12
			105.	LALPUR	12
			106.	BHULASIDIH	12
			107.	GIDHMUDI	13
			108.	PATURIYADAND	13
			109.	KHOTKHIRRI	13
			110.	HIRRIAMA	13
			111.	NAWAPARA	13
			112.	THHUTHHIPIPAR	13
			113.	DHAJAK	13
			114.	SAKHO	13
			115.	KANTAKACHHAR	13

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	KORBA	KATGHORA	116.	SUTRRA	15
			117.	JHALKACHHAR	22
			118.	GHUCHAPUR	23
			119.	DHARAMPUR	35
			120.	CHANDRAPUR	36
	KORBA	KARTALA	121.	KANSHIPANI	12
			122.	BODAJHAP	15
			123.	SHRIMAR	15
			124.	SUIARA	19
	KORBA	PALI	125.	KERAMUDA	04
			126.	BAISEMAR	04
			127.	PAHADGAON	04
			128.	SURKA	04
			129.	HATHIBADI	04
			130.	TELSARA	05
			131.	GANESHAPUR	10
			132.	CHATUWABHOUNA	11
			133.	CHHINDAPANI	14
			134	MASURIHA	15

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8366/2169/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग में पदस्थ उप-सचिव श्री ए. के. सामन्तरे को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी, स्थानापन्न रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2005

क्रमांक 9538/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	उरईडबरी प.ह.नं. 31	32.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भरुवाटोला जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2005

क्रमांक 9539/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	वसंतपुर प.ह.नं. 5	63.91	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	खैरबना जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी /अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक 1859/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	सोनपुर	1.21	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भनसुली व्यपवर्तन योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक 1860/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खर्रा	1.71	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भनसुली व्यपवर्तन योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक 1861/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	असोगा	4.62	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भनसुली व्यपवर्तन योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक 1864/ले. पा./भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खम्हरिया	3.59	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भनसुली व्यपवर्तन योजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 01/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	पथर्री. प. ह. नं. 3	1.90	कार्यपालन यंत्री, मनियारी, जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली रहन नाला फीडर, केनाल परिवर्तन योजना एवं बांध पार डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 02/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	धनियाडोली प. ह. नं. 3	0.30	कार्यपालन यंत्री, मनियारी, जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली रहन नाला फीडर केनाल परिवर्तन योजना एवं बांध पार डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2005

क्रमांक 03/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	लंघवाटोला प. ह. नं. 3	0.22	कार्यपालन यंत्री, मनियारी, जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जल संसाधन उप संभाग मुंगेली रहन नाला फीडर, केनाल परिवर्तन योजना एवं बांध पार डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 18 मई 2005

क्रमांक 5399/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	1.456	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर.	चुहियानाला पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 नवम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुकरीझरिया	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगों नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/91-92/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.477 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/13	0.069
404/10	0.028
404/3	0.024
404/2	0.020
453	0.105
456/1	0.077
346	0.028
400/2, 404/1	0.150
402/2	0.036
450	0.024
451	0.012
454	0.024
449	0.040
423/2	0.008
415	0.008
423/4	0.008
420	0.162

(1)	(2)
419/2	0.008
91/5	0.012
91/12	0.162
91/17	0.065
402/8	0.146
480	0.024
350	0.016
91/8	0.133
91/9	0.012
92/2	0.008
92/1	0.016
402/1	0.020
92/1	0.016
402/1	0.016
योग 31	1.477

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरारी बासीन मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 7/अ-82/2004-2005/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नया बाराद्वार, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
680	0.388
योग 1	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाराद्वार से जैजैपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 11 नवम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 10/अ-82/2004-05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-रनपोटा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
776/3	0.121
775/3	0.101
775/2	0.012
योग 1	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रनपोटा, घोघरी, बसंतपुर मार्ग पर बोराई सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अ. वि. अ. (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला जांजगीर-चाम्पा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1490/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-निकुम, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
800	0.06
814	0.08
801	0.04
804	0.06
803	0.06
810	0.08
811	0.10
1585	0.20
1586	0.06
1657/2	0.14
1657/1	0.14
1767/1	0.18
1768	0.12
1602	0.01
योग	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1493/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-रूहा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
157	0.40
योग	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रूहा जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1496/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-खिलौरा खुर्द, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
217/1	0.05
220/2	0.08
222	0.04
223	0.10
224	0.04
227	0.06
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर नदी सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1499/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-खिलौरा कला, प. ह. नं. 20/13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
213	0.05
214/5	0.01
211	0.07
214/3	0.01
214/1, 2, 4	0.10
215	0.05
216	0.30
223/1	0.05
223/2	0.09
222/1	0.04
योग	0.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रूहा जलाशय हेतु नहर नाली में भूमि अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1502/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बोरई, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
315	0.03
312	0.03
299	0.17
276	0.02
284	0.01
314	0.04
310	0.02
300	0.01

(1)	(2)
286	0.01
313	0.03
309	0.03
283	0.03
311	0.02
योग	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करला उद्वहन सिंचाई योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1505/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-धमधा
 (ग) नगर/ग्राम-रौन्दा, प. ह. नं. 01
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
292	0.32
94	0.12
योग	0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रौन्दा जलाशय दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1508/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-धमधा
 (ग) नगर/ग्राम-डगनिया, प. ह. नं. 6
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.32
71	0.50
74	0.29
69	0.13
77	0.16
75	0.24
70	0.14
73	0.12
76	1.04
योग	2.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगना नाला व्यपवर्तन के (डुबान).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1511/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-खिलौरा कला, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
871	0.02
882	0.10
896	0.05
900	0.14
878	0.07
892	0.17
897	0.01
901	0.06
880	0.03
895	0.03
899	0.06
903	0.20
योग	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर नदी सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक 1514/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-रूहा, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61	0.06
94/5	0.01
94/10	0.01
132	0.04
182	0.18
191	0.06
178	0.16
94/1	0.03
94/6	0.01
130	0.01
188	0.28
183	0.06
176/2	0.04
180	0.50
94/4	0.01
94/8	0.01
131	0.05
156	1.00
184	0.20
177/2	0.15
425/1	0.02
योग	2.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रूहा जलाशय हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बायंग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
90	0.045
91/1, 92/1	0.073
110	0.012
111/3	0.012
योग 4	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
417/1	0.065
429	0.020
योग 2	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-पुरेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.282 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/3	0.012

(1)	(2)
111/1, 21/2	0.020
22/3	0.040
111/4	0.012
147/2	0.113
124/1	0.049
124/2	0.008
117/2	0.020
115/3	0.008
योग	0.282

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़.
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बाम्हनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.660 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456/4	0.020
332/4	0.032
348/2	0.053
351/2	0.032
352, 353	0.125
321/5	0.142
354/2, 355/2	0.089
356/2	0.012
356/1	0.012
351/3	0.032
153/1	0.016
152	0.016
144	0.040
349/3	0.133
338	0.121
337/1	0.036
337/5	0.126
321/4	0.016
319	0.162
320	0.186
318	0.016
348/2	0.053
348/3, 5	0.113
343	0.081
योग	1.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.612 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
474	0.065
449/2	0.032
450/3	0.235
422/4	0.020
481	0.081
482/1	0.081
455	0.049
449/5	0.049
योग	0.612

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-गीधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.293 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
671/1 क	0.121
649	0.024
107/1	0.057
386/1	0.060
658/2	0.037
61/1	0.069
378	0.020
390/2, 671/6	0.198
7/10	0.271
657/2	0.040
616, 617, 618	0.319
386/2	0.077
योग	1.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेदेवगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64/2	0.020
234/3	0.057

(1)	(2)
131/2	0.049
235/2	0.040
171/1	0.008
253/6, 253/7, 253/8	0.198
योग	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-हालाहुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.246 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170/2	0.121
179	0.024
201/1, 201/2	0.024
170/1	0.024
80/4	0.053
योग	0.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आड़ाझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
237, 236/3	0.129
योग	0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बाम्हनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.435 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.057
7/1, 7/3	0.186
12/1, 12/2	0.008
2	0.133
18/4 क	0.012
18/6 क	0.057
5/11	0.191
5/10	0.077
18/7	0.081
3/2 ग	0.028
3/2 ङ	0.012
18/10	0.020
32/1	0.040
21/2	0.036
32/6	0.077
35/1 ख	0.036
35/1 क	0.036
21/4	0.016
5/1	0.113
13/7	0.081
18/4 ग	0.065
18/4 घ	0.073
योग 19	1.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-जैमुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
673/12	0.012
योग	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-सरवानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	373/4	0.077
योग		0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. **विश्वकर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
BILASPUR

Bilaspur, the 21st June 2005

No. SBC/CG/Election-2/F-4/503/2005.—It is, hereby notified for general information that Shri Prashant Mishra, Sr. Advocate and Addnl. Advocate General Govt. of Chhattisgarh is elected as Chairman and Shri Shailendra Dubey, Advocate is elected as Vice-Chairman and Shri Ram Narayan Vyas, Advocate is elected as Treasurer of the State Bar Council of Chhattisgarh in its meeting held on the 19th June 2005.

The addresses of the aforementioned office-beares are as under :—

CHAIRMAN :

Shri Prashant Mishra,
Sr. Advocate and
Addnl. Advocate General,
Govt. of Chhattisgarh,
"Vidya Niketan" Hansa Vihar,
Link Road and Vyapar Vihar Road,
Bilaspur (C.G.).

Phone : 07752-506454
07752-236241
Mobile :98271-12398

VICE-CHAIRMAN :
Shri Shailendra Dubey
1-Shivaya[illegible]
Hari Krishna Colony,
Tar Bahar, Bilaspur (C.G.)

Phone : 07752-22[illegible]454
Mobile. 98271-84655

TREASURER:
Shri Ram Narayan Vyas,
Advocate,
24-Vivekanand Nagar,
Raipur (C.G.)

Phone : 0771-2428611
Mobile : 93291-00898

Bilaspur, the 19th November 2005

No. SBC/CG/Election-2/F-4/874/2005.—In terms of Rules 31(A) of Election Rules governing the election of State Bar Council of Chhattisgarh, a casual vacancy has occured due to the sad and sudden demise of Shri K.M. Jain, Member of this Council.

Therefore it is notified for general information of all concerned that Shri Arun Kochar, Advocate, R/o Behind Raghuraj Stadium, Imlipara, Bilaspur, Chhattisgarh having been the last candidate eliminated in the process of election held on 8-7-2002 and is also qualified to be elected as member of the State Bar Council of Chhattisgarh-in accordance with the provisions of Sec. 3(2) (b) of the Advocate Act 1961-is hereby inducted as 25th Member of State Bar Council of Chhattisgarh from the date of publication of this notification in the Gazette of State of Chhattisgarh.

Sd./-
V. A. Narayanan,
SECRETARY.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

क्रमांक एफ-37-2/तीन (एक)-3/2005/प.उ.नि.उत्त./समय-अनु./05/4120 रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

विषय :—त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव (उत्तरार्द्ध) वर्ष 2005 चुनाव कार्यक्रम (समय-अनुसूची)

परिशिष्ट-एक

पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उप चुनाव हेतु समय अनुसूची (कार्यक्रम) वर्ष 2005 (उत्तरार्द्ध)

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन (5)	समय (6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	28-11-2005	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	स्थानों(सीटों)के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29 (क)	28-11-2005	सोमवार	
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	28-11-2005	सोमवार	
4.	नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि.	28 (क)	5-12-2005	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 (ख)	6-12-2005	मंगलवार	प्रात: 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	28 (ग)	8-12-2005	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	8-12-2005	गुरुवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
8.	मतदान (यदि आवश्य हो).	28 (घ)	18-12-2005	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
9.	मतगणना	28 (ङ)			
	(1) मतदान केन्द्रों पर		18-12-2005	रविवार	मतदान केन्द्रों में मतदान के तुरंत बाद.
	(2) खण्ड मुख्यालय पर		20-12-2005	मंगलवार	प्रात: 9.00 बजे से
10.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा.				
	(1) पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में.		20-12-2005	मंगलवार	खण्ड मुख्यालय में प्रात: 9.00 बजे से.
	(2) जिला पंचायत सदस्य के मामले में.		21-12-2005	बुधवार	जिला मुख्यालय में प्रात: 10.30 बजे से.

हस्ता./-
(एच. यू. खान)
उप-सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th November 2005

No. 658/Confdl./2005/II-1-1/2005 (Pt. D).—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13030/3/2005-U.S.II dated 10th November 2005 of Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Subray Rama Nayak, Judge of Karnataka High Court has assumed charge of the office of Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur in the afternoon of 17th November, 2005.

Bilaspur, the 25th November 2005

No. 671/Confdl./2005/II-2-1/2005 .—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office; and

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mansukh Karketta, II Additional District & Sessions Judge.	Baloda Bazar	Bhatapara	Raipur	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 25th November 2005

No. 673/Confdl./2005/II-3-1/2005 .—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Santosh Kumar Aditya I Civil Judge Class-II.	Raipur	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Nratyanjay Singh Patel, II Civil Judge Class-II.	Raigarh	Pathalgaon	Jashpur	Civil Judge Class-II
3.	Shri Niranjan Lal Chauhan, III Civil Judge Class-II.	Raigarh	Bhatapara	Raipur	Civil Judge Class-II

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.

Bilaspur, the 17th November 2005

No. 653/Confdl./2005/II-2-99/2001 .—On the application dated 5-8-2003 of Shri V. N. Pandey, the then Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ramanujganj, presently posted as II Additional District & Sessions Judge, Durg, requesting for correction of the spelling of his name as "VIJENDRA" by deleting the letter "Y" from "VIJYENDRA", Hon. the Acting Chief Justice has been pleased to grant permission to correct the spelling of his name as 'VIJENDRA" by deleting the letter "Y" from "VIJYENDRA" and thus, his full name shall be spelt as "VIJENDRA NATH PANDEY".

By order of the Hon. the Acting Chief Justice,
RANGNATH CHANDRAKAR, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 22nd September 2005

No. 4713/II-14-27/2005.—Shri Satish Chander, Retired Joint Registrar of Hon'ble Supreme Court is appointed to the post of Additional Registrar for a period of one year which shall be extendable up to 3 years, and he shall be entitled for pay and allowances as mentioned below :—

1. Maximum of the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- i.e. Rs. 16500/- plus 1000/- personal pay minus pension which is being drawn by Shri Satish Chander.
2. Dearness Allowance @ 61% of the pay of Rs. 16500/- plus personal pay of Rs. 1000/-.
3. Special Pay @ Rs. 600/- per month shall be admissible as admissible to other Additional Registrars working in the Registry.
4. The Relief on pension and the Interim relief shall not be payable during the period of re-appointment.

Bilaspur, the 30th October 2005

No. 166/II-14-1/2005 (Part-III).—The following Assistant Registrar are confirmed under Rule 10 (b) of Chhattisgarh High Court Establishment (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2003 on the post of Assistant Registrar in the pay-scale of Rs. 8000-275-13500/- on the establishment of this High Court, with effect from date as mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Assistant Registrar	Date of Confirmation
1.	Shri S. K. Rao	30-10-2005.
2.	Shri Manish Hande	30-10-2005

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
D. K. TIWARI, Additional Registrar (Estt.)

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2005

क्रमांक 5401/तीन-10-8/2000-II.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 4208/तीन-10-8/2000 भाग-दो, दिनांक 24 सितम्बर 2004 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-1/2003/8242/21-ब/05 दिनांक 24 अक्टूबर 2005 द्वारा स्थापित अपर ज़िला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 26 नवम्बर 2005 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
		2. कांकेर	1	2. कांकेर	2	2. भानुप्रतापपुर	1
						3. कांकेर	1
						4. कोण्डागांव	1
						5. नारायणपुर	1
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	8	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	9
		2. जांजगीर	1	2. जांजगीर	2	2. जांजगीर	2
		3. मुंगेली	1	3. मुंगेली	1	3. पेण्ड्रारोड	1
		4. सक्ती	1	4. पेण्ड्रारोड	1	4. सक्ती	1
				5. सक्ती	1		
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	9
		2. बालौद	1	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2
5.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
						2. पत्थलगांव	1
6.	कबीरधाम (कवर्धा)	-	-	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
7.	कोरबा	1. कोरबा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
				2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
8.	रायगढ़	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
						2. धर्मजयगढ़	1
						3. घरघोड़ा	1
						4. सारंगढ़	1
9.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	12
		2. बलौदा बाजार	2	2. बलौदा बाजार	1	2. बलौदा बाजार	1
		3. धमतरी	1	3. धमतरी	2	3. धमतरी	2
		4. महासमुंद	2	4. गरियाबंद	1	4. गरियाबंद	1
		5. भाटापारा	1	5. महासमुंद	3	5. महासमुंद	2
						6. सरायपाली	1
						7. भाटापारा	1
						8. कुरूद	1
10.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1		
11.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. बैकुण्ठपुर	1	2. बैकुण्ठपुर	2	2. बैकुण्ठपुर	1
		3. मनेन्द्रगढ़	1	3. मनेन्द्रगढ़	1	3. मनेन्द्रगढ़	1
		4. सूरजपुर	1	4. रामानुजगंज	1	4. प्रतापपुर	1
				5. सूरजपुर	1	5. सूरजपुर	1

Bilaspur, the 8th November 2005

No. 5401/III-10-8/2000-II.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 12 of Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), and in supersession of its previous Notification No. 4208 III-10-8 2000 Part-II, Dated 24th September 2004, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F. No. 1-1/2003/8242/21-B/05 dated 24th October 2005 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the 26th November 2005 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

S.No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
		2. Kanker	1	2. Kanker	2	2. Bhanupratappur	1
						3. Kanker	1
						4. Kondagaon	1
						5. Narayanpur	1
2.	Bilaspur	1. Bilaspur	8	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	9
		2. Janjgir	1	2. Janjgir	2	2. Janjgir	2
		3. Mungeli	1	3. Mungeli	1	3. Pendra Road	1
		4. Sakti	1	4. Pendra Road	1	4. Sakti	1
				5. Sakti	1		
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	1	2. Bijapur	1
4.	Durg	1. Durg	6	1. Durg	3	1. Durg	9
		2. Balod	1	2. Balod	1	2. Balod	2
		3. Bemetara	1	3. Bemetara	1	3. Bemetara	2
5.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
						2. Pathalgaon	1
6.	Kabeerdham (Kawardha)	-	-	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
7.	Korba	1. Korba	1	1. Korba	2	1. Korba	1
				2. Katghora	1	2. Katghora	1
8.	Raigarh	1. Raigarh	2	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
						2. Dharamjaigarh	1
						3. Gharghora	1
						4. Sarangarh	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Raipur	1. Raipur	8	1. Raipur	6	1. Raipur	12
		2. Balodabazar	2	2. Balodabazar	1	2. Balodabazar	1
		3. Dhamtari	1	3. Dhamtari	2	3. Dhamtari	2
		4. Mahasamund	2	4. Gariaband	1	4. Gariaband	1
		5. Bhatapara	1	5. Mahasamund	3	5. Mahasamund	2
						6. Saraipali	1
						7. Bhatapara	1
						8. Kurud	1
10.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh Chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1		
11.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Baikunthpur	1	2. Baikunthpur	2	2. Baikunthpur	1
		3. Manendragarh	1	3. Manendragarh	1	3. Manendragarh	1
		4. Surajpur	1	4. Ramanujganj	1	4. Pratappur	1
				5. Surajpur	1	5. Surajpur	1

बिलासपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2005

क्रमांक 5402/तीन-10-8/2000-II.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974), की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 4210/तीन-10-8/2000 भाग-दो, दिनांक 24 सितम्बर 2004 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि दिनांक 26 नवम्बर 2005 से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणत: उक्त सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बस्तर	1. जगदलपुर
		2. कांकेर
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर
		2. मुंगेली
		3. पेण्ड्रारोड
		4. जांजगीर
		5. सक्ती

(1)	(2)	(3)
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
4.	दुर्ग	1. दुर्ग 2. बालौद 3. बेमेतरा
5.	जशपुर	1. जशपुर
6.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कबीरधाम (कवर्धा)
7.	कोरबा	1. कोरबा
8.	रायगढ़	1. रायगढ़
9.	रायपुर	1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. धमतरी 4. महासमुंद 5. भाटापारा
10.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़
11.	सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सूरजपुर 3. रामानुजगंज 4. बैकुण्ठपुर 5. मनेन्द्रगढ़

Bilaspur, the 8th November 2005

No. 5402/III-10-8/2000-II.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), and in supersession of its Notification No. 4210/III-10-8-2000 Pt. II, Dated 24th September 2004, the High court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect from the 26th November 2005 ordinarily the Court of sessions specified in column No. (2) of the Table below, shall hold its sitting at the place or places specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Place of Sitting (3)
1.	Bastar	1. Jagdalpur 2. Kanker

(1)	(2)	(3)
2.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendra Road 4. Janjgir 5. Sakti
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
4.	Durg	1. Durg 2. Balod 3. Bemetara
5.	Jashpur	1. Jashpur
6.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kabeerdham (Kawardha)
7.	Korba	1. Korba
8.	Raigarh	1. Raigarh
9.	Raipur	1. Raipur 2. Baloda Bazar 3. Dhamtari 4. Mahasamund 5. Bhatapara
10.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh
11.	Surguja	1. Ambikapur 2. Surajpur 3. Ramanujganj 4. Baikunthpur 5. Manendragarh

बिलासपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2005

क्रमांक 5626/तीन-10-11/2000 (रायगढ़-सारंगढ़).—छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ अपने घोषित कार्यस्थल रायगढ़ के अतिरिक्त सारंगढ़ में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

Bilaspur, the 21st November 2005

No. 5626/III-10-11/2000 (Raigarh-Sarangarh).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Second Additional District and Sessions Judge, Raigarh in addition to his place of sitting declared at Raigarh, shall also sit at Sarangarh on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Raigarh from time to time.

By order of the High Court,
A. R. L. Narayana, Additional Registrar.